



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0-15/2023-

498

दिनांक : 06/07/2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
प्रशिक्षण, महिलौंग (राँची)।

विषय :-

केन्द्र प्रायोजित योजना "Forest Fire Prevention & Management" योजना (60:40) (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत योजना के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रु0 49.183 लाख (उनचास लाख अठारह हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-15/2020-22/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.01.2023, एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या04/यो0 बजट-15/2020-16/आ0 व0प0 दिनांक-04.07.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 110 भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय, उप शीर्ष- 64 फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एवं मैनेजमेंट (60:40) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 49.183 लाख (उनचास लाख अठारह हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

(क) केन्द्रांश (60%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C24060111064000103	19.61
प्रशिक्षण व्यय	19C24060111064000335	9.90
कुल :-		29.51

(ख) राज्यांश (40%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060111064000103	13.073
प्रशिक्षण व्यय	19S24060111064000335	6.600
कुल :-		19.673

2. उप-आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग होंगे, जो कोषागार से एक मुश्त राशि की निकासी कर PFMS के तहत खोले गये HDFC Bank खाता संख्या-50100451875811 एवं IFSC Code HDFC0002519 में राशि जमा करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर द्रष्टव्य है।

3. (i) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जाएगी एवं झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं खर्च नहीं किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

5. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश तथा अद्यतन निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2023- 498 दिनांक- 06/07/2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/पी0एम0यू0 सेल, योजना अंचल, राँची/इनविस सेंटर, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2023- 498 दिनांक- 06/07/2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-15/2023/498

दिनांक - 06-Jul-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 19 24060111064000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 110 - भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय 64 - फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते	40366	DRNFWL009 DR. VIJAY SHANKAR DUBEY IFS DY.CF.TRAINING RANCHI 03 - मजदूरी	1,961,000.00 रुपये उन्नीस लाख इकसठ हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060111064000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 110 - भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय 64 - फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते	40369	DRNFWL009 DR. VIJAY SHANKAR DUBEY IFS DY.CF.TRAINING RANCHI 03 - मजदूरी	1,307,300.00 रुपये तेरह लाख सात हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	C 19 24060111064000335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 110 - भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय 64 - फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	40367	DRNFWL009 DR. VIJAY SHANKAR DUBEY IFS DY.CF.TRAINING RANCHI 35 - प्रशिक्षण व्यय	990,000.00 रुपये नौ लाख नब्बे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये बयालीस लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ
क्रमिक योग:

4,258,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. IHARKHAND

RANCHI

Run Date: 6/7/2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060111064000335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 110 - भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय 64 - फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	40370	DRNFWL009 DR. VIJAY SHANKAR DUBEY IFS DY.CF.TRAINING RANCHI 35 - प्रशिक्षण व्यय	660,000.00 रुपये छः लाख साहठ हजार

State Scheme : NA
Central Scheme : NA



योग:

रुपये उनचास लाख अठारह हजार तीन सौ

660,000.00

क्रमिक योग:

4,918,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

Run Date: 6/7/2023